संख्या-36/2017/31 वी.आई.पी./26-3-2017-3(1)/2013

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, कुशीनगर,चन्दौली, बलिया, महाराजगंज
मऊ एवं सोनभद्र।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 01 सितम्बर 2017

विषयः कमकर पेशागत/स्थानीय पुकारू नाम से पहचाने जाने वाले खरवार जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-96 मु0स0/26-3-2015, दिनांक-20.07.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा खरवार जाति के पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा अधिनियमित अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम-1976 के द्वारा उत्तर प्रदेश के लिये निर्धारित अनुसूचित जातियों की सूची के क्रमांक-46 पर खरवार (वनवासी को छोड़कर) तथा अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम-2002 के द्वारा खरवार, खैरवार को जनपद-देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति की सूची में वर्गीकृत किया गया है।

3- उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय जातीय सभा के प्रतिनिधियों के शिकायत के दृष्टिगत कि खरवार जाति के पात्र व्यक्तियों को कमकर कह कर जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। शा◌ासन द्वारा कमकर एवं खरवार जाति के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नृजातीय सर्वेक्षण अध्ययन कराया गया। सर्वेक्षण अध्ययन के अनुसार खरवार जाति के परिवार के सदस्यों द्वारा हलवाही, मजदूरी, पानी भरना एवं डोली उठाना, लकड़ी से कत्था बनाना एवं घरेलू नौकर का काम आदि पेशा आधारित कार्यों को किये जाने के कारण स्थानीय बोलचाल में इन्हें कमकर कहा जाता है। अतः कमकर कोई जाति/उपजाति या वर्ग न होकर मूलतः खरवार जाति का व्यवसाय आधारित (पेशागत) स्थानीय पुकारू नाम है। शासनादेश संख्या-3469/ 26-3-2010, दिनांक-26.10.2010 द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये गये हैं कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करते समय राजस्व अधिकारियों को उस व्यक्ति के नाम के समक्ष लिखे जा रहे पेशागत सूचक शब्द अथवा उसके जीविकोपार्जन हेतु अपनाये जाने वाले व्यवसाय इत्यादि को ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आधार नहीं माना जाना चाहिये, साथ ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु केवल 1359 फसली को ही आधार न माना जाय, अपितु आवेदक के विषय में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए गांव के तथा आस-पास के निर्विवादित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परिवारों से स्थलीय पूछताछ/जाच-पड़ताल, कुटुम्ब रजिस्टर, शैक्षिक संस्थाओं की टी.सी. इत्यादि को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आधार माना जाय।

4- शासनादेश संख्या-685/26-3-2011, दिनांक-28.02.2011 द्वारा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन समिति का गठन किया गया है, जिसमें जाति प्रमाण पत्र न बनाये जाने, फर्जी अथवा त्रुटिपूर्ण होने एवं अन्य विसंगतियों के मामले निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा शासनादेश संख्या-428/26-3-2011, दिनांक-27.01.2011 द्वारा मण्डल स्तर पर अपीलीय फोरम तथा शासनादेश दिनांक-05.01.1996 द्वारा राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी का गठन किया गया है।

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तुत दस्तावेजों/साक्ष्यों का भली-भांति जॉच-पड़ताल/निरीक्षण करते हुये कमकर पेशागत/स्थानीय पुकारू नाम से पहचाने जाने वाले खरवार जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

पृ0सं0- 136/2017/31 वी.आई.पी.(1)/26-3-2017 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।

2- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in